

023/1

न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) गुलाबपुरा (भीलवाडा.)

—:सरवरक:—

(कायदा 129)

{General Rules (Civil), Rule 129, Appendix B Form No. 8}

- | | | | |
|---|--|-------|--|
| 1 | नाम अदालत | :- | सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) गुलाबपुरा |
| 2 | किस्म मुकदमा | :- | प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर00ए0 |
| 3 | अनवान मुकदमा
गायडमल पिता लाभू रेबारी
निवासी- फलामादा | | बनाम राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार हुरड़ा |
| 4 | नम्बर व सन् मुकदमा | :- | 162/2018 |
| 5 | तारीख दायर | :- | 16.05.2018 |
| 6 | तारीख फ़ैसला | :- | 16.05.2018 |
| 7 | तारीख दाखिल होने मुहाफिजखाना | :- | |
| 8 | अपील या निगरानी की तारीख फ़ैसला | :- | |
| 9 | किस्म मिसल या हिस्सा | :- | |
| 0 | किस्म रेकार्ड | :- | |
| 1 | (अ) तारीख जिस पर कि हिस्सा 'डी' तलफ करना हैं | | |
| | (ब) तारीख जिस पर कि हिस्सा 'डी' तलफ किया गया | | |
| 1 | (अ) तारीख जिस पर कि हिस्सा 'सी' तलफ करना हैं | | |
| 2 | (ब) तारीख जिस पर कि हिस्सा 'सी' तलफ किया गया | | |
| 1 | (अ) तारीख जिस पर कि हिस्सा 'बी' तलफ करना हैं | | |
| 3 | (ब) तारीख जिस पर कि हिस्सा 'बी' तलफ किया गया | | |
| 1 | (अ) तारीख जिस पर कि हिस्सा 'ए' तलफ करना हैं | | |
| 4 | (ब) तारीख जिस पर कि हिस्सा 'ए' तलफ किया गया | | |

दस्तावेज को
बिना को
जो न क
संश्लेषण

रिपोर्ट पटवारी व प्रमाण

प्रमाणपत्र,
निवेदन इति खाता नं. 52 के गांधी
पितालाबू हे वनाय गायडमल पिता लाबू दर्ज
कराना चाहा किन्तु प्रार्थी के द्वारा गायडमल पिता लाबू दर्ज

[Signature]
प्रमाणपत्र

2.1.8.14
रिपोर्ट पटवारी निवेदन खाता पत्रादी
G.C.R

तहसीलदार / नायब तहसीलदार

रिपोर्ट पटवारी व ICR हे खाता पर
दावा चीकाट मांग्य है
16/5/18

तहसीलदार (भू. अ.)
हुरडा जिला - भीलवाड़ा

आदेश

दिनांक 16.05.2018 / 162/2018

रिपोर्ट पटवारी हल्का फलामादा, भू-अभिलेख निरीक्षक दांतडा एवं तहसीलदार
हुरडा की रिपोर्ट अनुसार ग्राम फलामादा की जमाबन्दी संवत् 2072 से 2075 के खाता
संख्या 52 की खातेदार गायडमल पिता लाबू के बजाय गायडमल पिता लाबू दर्ज
कराना चाहा किन्तु प्रार्थी के द्वारा गायडमल पिता लाबू के स्थान मयडमल पिता लाबू
करावाया जाने बाबत कोई समुचित आधार यथा राजस्व रिकार्ड प्रस्तुत नहीं किये जाने से
यह प्रार्थना पत्र खारिज योग्य होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार
होकर दाखिल दफ्तर करे। आदेश आज दिनांक 16.05.2018 को खुली लोक अदालत
केम्प कोर्ट फलामादा पर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलेक्टर
गुलाबपुरा केम्प

(नन्दकिशोर राजोरा)
पीठासीन अधिकारी, लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर
गुलाबपुरा जिला भीलवाड़ा

